मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक / स्था / राज / सं / 2020 /　　　　　　　　जबलपुर, दिनांक　　/ 02 / 2020

"आदेश"

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं / एनएचएम / एचआर / 2020 / 2710 दिनांक 07.02.2020 के तहत् नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम कोआर्डिनेटर** के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन पर निम्नलिखित अभ्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तो के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

क	प्रोग्राम कोआर्डिनेटर का नाम	वर्ग	जिला	पदस्थापना स्थल	मासिक मानदेय
1	2	3	4	5	6
1	SATYA PRAKASH SHRIVASTAVA	अनारक्षित	जबलपुर	अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर	रूपये 35,000 / – (पैंतीस हजार) रू मात्र

<u>संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेंगी</u> :–

1. प्रोग्राम कोआर्डिनेटर की प्रथम संविदा सेवा की अवधि 11 माह की होगी ।
2. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
3. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे ।
4. प्रोग्राम कोआर्डिनेटर के लिए यह अनिवार्य होगा कि अनुबंध आदेश जारी होने के 20 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्य भार ग्रहण करें ।
5. यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा अनुबंधकर्ता अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी । यह अवधि अधिकतम एक माह के लिए मान्य की जा सकेगी । निर्धारित अवधि में कार्य भार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
6. प्रथम संविदा पर चरित्र सत्यापन–संविदा पद चयनित प्रोग्राम कोआर्डिनेटर को नियुक्ति के समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच–नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सक बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं संविदा प्रोग्राम कोआर्डिनेटर के मध्य, नियोक्ता–चिकित्सक के संबंध होंगे। प्रोग्राम कोआर्डिनेटर निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एक मुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें नियमित शासकीय सेवा की पात्राता नहीं होगी ।
9. प्रोग्राम कोआर्डिनेटर को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा ।

Scanned by CamScanner

(17)

10. प्रोग्राम कोआर्डिनेटर को प्रत्येक 01 वर्ष मे 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी । यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा पर इन विशेषज्ञ से संबधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय,
स्वशासी समिति, जबलपुर

पृ/स्था/राज/सं/2020/1815 जबलपुर, दिनांक 13/02/2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल की ओर ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर ।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर ।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र. की ओर ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर म.प्र. की ओर ।
6. कलेक्टर, जिला जबलपुर म.प्र. ।
7. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला जबलपुर ।
9. संभागीय कार्यकम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., संभाग जबलपुर म.प्र ।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जबलपुर।
11. नोडल ऑफिसर एनएचएम डॉ. स्वेता पाठक शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
12. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग /गायनिक/निश्चेतना विभाग/पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
13. स्थानीय लेखा/सामान्य /कैश/छात्रा शाखा की ओर।
14. चयनितप्रत्याशी की ओरपालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय,
स्वशासी समिति, जबलपुर

Scanned by CamScanner